

preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A-44011/26/2014--E.I]

RATNESH KUMAR GUPTA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक, समुह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में भंडार अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भंडार अधीक्षक, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाच्यद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविंदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सविंदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---------------|--|---|--|------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| भंडार अधीक्षक | 7* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-06 (35400-112400 रु.) | चयन पद | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी | पारिवेक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|--|--|-------------------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रसूति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा |

| प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में कितनी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|--|--|---|
| (11) | 12 | 13 |
| <p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर 4 में ऐसा भण्डारी जिसने केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तर 3 (21700-69100 रु.) में राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण संस्थान रायपुर या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर से सामग्री संभलाई या भंडार का रख-रखाव और भंडारों का लेखांकन पर दो सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो।</p> <p>दिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से</p> | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष इंजिनियरी स्थापना, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का समूह 'क' का अधिकारी - सदस्य केन्द्रीय सरकार के विभाग से समूह 'क' -सदस्य | <p>लागू नहीं होता।</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> |

इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान के अधिकारी

अ (i) मूल संवर्ग या नियमित आधार पर मदृश पदधारण करते हो; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 05 या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष सेवा की हो, और

(आ) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो:

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्यिक या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोकप्रशासन के साथ मास्टर डिग्री

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के भंडार या संबद्ध में संभालने भंडारो और लेखा पालनों में एक वर्ष अनुभव हो; या

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विषय के रूप में अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या कारोबार अध्ययन या लोकप्रशासन में स्नातक डिग्री

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में सामाग्री प्रबंधन या भंडारण प्रबंधन या खरीद या संभार- तंत्र या लोक उपासन में डिप्लोमा

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर

| | | |
|--|--|--|
| <p>उपक्रम या विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान से भंडार या संबन्ध में संभालने में भंडार लेखा पालन में दो वर्ष अनुभव हो</p> <p>टिप्पण 1: पोपक प्रवर्ग के ऐसे , विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि , जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उरी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | | |
|--|--|--|

[फा.सं. ए. 31012/04/2017- सी.जी.डब्ल्यू.बी.]

अश्वय कुमार साहू, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Store Superintendent, Group 'B' Post, recruitment Rules 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Store Superintendent** in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, **Store Superintendent**, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No persons:-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in Pay Matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|----------------------|--|--|---|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Store Superintendent | 7* (2021) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Non-ministerial, non-Gazetted, Group 'B' | Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix | Selection Post | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruitment | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method |
|--|--|-----------------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Two years | Promotion failing which deputation (including short-term contract) |

| In case of recruitment by promotion / deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption is to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|--|
| (11) | (12) | (13) |
| Promotion: Store Keeper in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in Central Ground Water Board with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training on material handling, Storekeeping and stores accounting Level-3 (Rs. 21700-69100), from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other National level recognised | Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board, -Chairman, 2. Group 'A' officer of Engineering Establishment, Central Ground Water Board -Member, 3. A Group-A from another Central Government Department - Member | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

institute.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.

Deputation (Including short term contract):

Officers of Central Government or State Government or Union Territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution.

((A) (i) holding analogous posts in the parent cadre or department on regular basis; or

(ii) with six years services in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) Possessing following educational qualifications and experience:

(i) Masters degree with Economics or Commerce or Statistics or Business studies or Public Admn. from a recognised University or Institute.

(ii) One year experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central or State govt. or Union Territory

Admn. Or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution OR

(i) Bachelors degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Admin. as a subject from a recognised University or Institute.

(ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from a recognised University or Institute.

(iii) Two years experience in handling

stores and keeping account in a store or in a concern of Central Government or State Government or Union Territory Admin. or Statutory or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised research institution.

Note 1: The departmental officials in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (Including short term contract) including the period of another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

[F.No.A.31012/04/2017-CGWB]

A.K. SAHOO, Under Secy.